

22/05/18

पन्नावली माज न्याय कायदे चार भूमिमान-
2018 डेम्प ठोटी गाम पेचायत लवाडु मूलराज
में रथी गई प्राथी वहील उपस्थित/ विप्राधीगिण
मनुउपस्थित/ प्राथी के अधिकार की सुडपक्षीय
बयम सुनी गई प्राथी के अधिकार के बलाया
की प्राथी के अपने ध्यालेडारी ध्येला के चारों मोर
पन्डे नेयम स्थापित ठरवाना कावश्यतु है इसलिये
प्राथी का नेयमबन्दी कावेडन स्वीकार किया जाडर
नेयमबन्दी कादेश दिया जावे।

फल: प्राथी का नेयमबन्दी कावेडन
स्वीकार किया जाडर लहसीलार बायडु की सुकिनर
नियुक्त दिया जाला है व कादेश दिया जाला है कि
काय स्वमं या अपने अधिकार किसी भी मूमिलेय
निरिस्त से प्राथी के ध्यालेडारी ध्येला की पन्डी नेयमबन्दी
मोडे पर कुलकु जमाडराडर डरे पालना रिपोर्ट आल
दोने पर शामिल पन्नावली की पन्नावली जेमल कुमार
को, इज नाम्बर से उम ही दाखिल इफल ही।





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, सवाउ मूलराज)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/580
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 22/05/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री चन्दाराम पुत्र नथाराम वगैरा 4
जातियान् जाट निवासी मायलों की
ढाणी, झाक तहसील बायतु जिला
बाडमेर

1. श्री रूपाराम पुत्र पुरखाराम वगैरा 24
जातियान् जाट निवासी मायलों की ढाणी,
झाक तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 111/18

आदेश

मौजा मायलों की ढाणी पटवार हल्का झाक के खेत खसरा नम्बर 714/425 रकबा 102.10 बीघा, मौजा थलेसों की ढाणी पटवार मण्डल झाक के खसरा नम्बर 370, 462, 464 रकबा कमशः 15.05, 17.12, 110.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्राथीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्राथीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-22/05/2018

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/581-84
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चन्दाराम पुत्र नथाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र पुरखाराम वगैरा 24।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु